फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - थाना शमसाबाद

दिनांक :-01.07.2025

थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-133/2025 धारा 3/8 गौवध निवारण अधिनियम व मु0अ0सं0 135/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड में किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री हरीश चंदर** के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ **श्रीमती आरती सिंह** के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी कायमगंज **श्री संजय वर्मा** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा थाना शमसाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0-133/2025 धारा 3/8 गौवध निवारण अधिनियम व मु0अ0सं0 135/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शकील तथा मु0अ0सं0 135/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रियाजुद्दीन को मुखबिर की सूचना पर 02 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शकील पुत्र नवी आलम निवासी ग्राम समैचीपुर चितार थाना शमसाबाद जनपद फर्रुखाबाद उम्र करीब 52 वर्ष
2. रियाजुद्दीन पुत्र जमालुद्दीन निवासी ग्राम समैचीपुर चितार थाना शमसाबाद जनपद फर्रुखाबाद उम्र करीब 25 वर्ष

घटना का विवरण:- दिनांक 28.06.2025 को थाना शमसाबाद पर मु0अ0सं0 133/2025 धारा 3/8 गौवध निवारण अधिनियम बनाम 1. शकील 2. बांके पुत्रगण नवी आलम निवासी ग्राम समैचीपुर चितार थाना शमसाबाद जनपद फर्रुखाबाद पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान अभियुक्तगण 1. शकील पुत्र नवी आलम 2. रियाजुद्दीन पुत्र जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त शकील उपरोक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त शकील उपरोक्त का इलाज डॉ राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय फर्रुखाबाद में चल रहा है। घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के आधार पर थाना शमसाबाद पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं-135/25 धारा -109(1) (पुलिस मुठभेड) व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण अभियुक्त शकील उपरोक्त :-

अभियुक्त शकील पुत्र नवी आलम उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैनें व मेरे भाई बांके ने दिनांक 27.06.2025 को तराई में चरती 01 गाय को पकड लिया था जिसे हमने समैचीपुर चितार गांव के पास एक खेत में काट दिया था। जिसके अवशेष वहीं पर रह गये थे। जिसके सम्बन्ध में मुझे जानकारी हुई कि मेरे व मेरे भाई बांके के विरुद्ध थाना शमसाबाद में मुकदमा पंजीकृत हो गया है तो मैं अपने वकील साहब से बात करने अपने गांव के ही साथी रियाजुद्दीन पुत्र जमालुद्दीन के साथ फर्रुखाबाद गया हुआ था। वहाँ से मैं व मेरा साथी रियाजुद्दीन मोटर साइकिल से अपने घर की ओर वापस आ रहे थे कि जैसे ही हमें ग्राम नगला नान के पास अपनी मोटर साइकिल की लाइट की रोशनी में पुलिस की गाडी दिखायी दी तो हम दोनों भयभीत हो गये और मोटरसाइकिल वापस मोडने की कोशिश की तो हमारी मोटरसाइकिल फिसल गई जब हमें लगा कि हम पकड जायेंगे तो मैंने पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था। तब पुलिस ने मेरे ऊपर भी फायर किया और एक गोली मेरे दाहिनी पैर में लग गयी और मेरा तमंचा वहीं पर गिर गया था और पुलिस ने मुझे व कुछ देर बाद मेरे साथी रियाजुद्दीन को भी पकड लिया था।

पूछताछ का विवरण अभियुक्त रियाजुद्दीन उपरोक्त :-

अभियुक्त रियाजुद्दीन उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरे गांव के दूर के रिश्तेदार शकील व बांके ने दिनांक 27.06.2025 को तराई में चरती 01 गाय को पकड लिया जिसे उन दोनों ने समैचीपुर चितार गांव के पास एक खेत में काट दिया था। जिसके कुछ अवशेष वहीं पर रह गये थे। जिसकी सूचना पुलिस को लग गयी और पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ थाना शमसाबाद में मुकदमा लिखा दिया। जिसकी जानकारी इन लोगो को हुई तो बांके छुपकर कहीं चला गया और शकील और मैं वकील साहब से बात करने के लिए फर्रुखाबाद गये थे , जहाँ से वापस आते समय हमें ग्राम नगला नान के पास अपनी मोटर साइकिल की लाइट की रोशनी में पुलिस की गाडी दिखायी दी तो हम भयभीत हो गये और मोटरसाइकिल वापस मोडने की कोशिश की तो हमारी मोटरसाइकिल फिसल गई जब हमें लगा कि हम पकड जायेंगे तो मैंने शकील से कहा कि शकील पुलिस के ऊपर फायर कर नहीं तो हम पकडे जायेंगे फिर शकील ने फायर किया तो पुलिस ने भी हमारे ऊपर फायर कर दिया, तब पुलिस की एक

गोली शकील के पैर में लग गई। हम लोग बचने के लिए झाडियों में छिपते हुए भागे तो शकील का तमंचा वही गिर गया और पुलिस ने पहले शकील को पकड़ लिया और मैं भाग रहा था तो पुलिस ने मुझे भी पकड़ लिया था।

अभियुक्त शकील उपरोक्त से बरामद माल का विवरण

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 03 खोखा कारतूस 315 बोर
3. 01 मोटर साइकिल नं0 UP76AU9608 सीज 207 एमवी एक्ट

अभियुक्त रियाजुद्दीन उपरोक्त से बरामद माल का विवरण

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास शकील उपरोक्तः-

1- मु0अ0सं0 479/2004 धारा 323/324/325/504 भादवि थाना शमसाबाद फर्रुखाबाद

2- मु0अ0सं0-133/2025 धारा- 3/8 गौवध अधिनियम थाना शमसाबाद फर्रुखाबाद

3- मु0अ0सं0 135/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शमसाबाद

आपराधिक इतिहास रियाजुद्दीन उपरोक्तः-

1- मु0अ0सं0 135/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शमसाबाद

अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की अन्य थानाजात व जनपद से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री तरुण सिंह
2. उ0नि0 श्री मिथलेश कुमार यादव
3. का0 तरुण कुमार थाना
4. का0 अर्जुन सिंह
5. का0 अंकित कुमार
6. का0 गौरव कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक - 01.07.2025

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों को 12 घण्टे के अन्दर चोरी किये गये माल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 203/2025 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण को थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चोरी किये गये माल (08 बोरियाँ मक्का) सहित किया गया गिरफ्तार।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1.राजन पुत्र संजीव निवासी मोहल्ला नेकपुर कला कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़।

2.नीरज पुत्र पप्पू सक्सेना निवासी मोहल्ला अण्डियाना कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़।

घटना का संक्षिप्त विवरणः वादी श्री धन सिंह पुत्र मकसूदन लाल निवासी टिकुरियन नगला थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ द्वारा दिनांक 30.06.2025 को थाना मऊदरवाजा पर तहरीर दी कि दिनांक 30.06.2025 की सुबह करीब 05.00 बजे वादी की मक्का की बोरियाँ से लदी ट्रैक्टर ट्राली जो गोदाम के पास खड़ी थी, से राजन पुत्र संजीव निवासी मोहल्ला नेकपुर कला कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़ व उसके दो अन्य साथियों नें 08 मक्का की बोरियाँ निकालकर अपने-अपने टम्पो में लाद कर भाग गये। वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 203/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 1.राजन पुत्र संजीव निवासी मो0 नेकपुर कला कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़ आदि 03 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में 12 घण्टे के अन्दर 02 अभियुक्त राजन पुत्र संजीव निवासी मोहल्ला नेकपुर कला कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़ व नीरज पुत्र पप्पू सक्सेना निवासी मोहल्ला अण्डियाना कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण अभियुक्तगण -

अभियुक्तगण राजन तथा नीरज उपरोक्त ने पूछताछ पर सयुंक्त रूप से माँफी मांगते हुये बताया कि हम लोगो ने शिवा पुत्र राजेश सक्सेना निवासी ग्राम हैवतपुर गढिया काशीराम कालोनी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ के साथ मिलकर दिनांक 30.06.2025 की सुबह मालगोदाम के पास नगला खैरबन्द क्रासिंग की तरफ खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से मक्का की बोरियाँ चोरी की थी और उसे बेचने की फिराक में थे और शिवा ग्राहक की तलाश करने गया था कि जब तक पुलिस नें हमें पकड़ लिया, हमें यह नही पता कि शिवा कहाँ है। शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया।

बरामदगी का विवरण -

01. 08 बोरी मक्का।

02. 02 टेम्पो नं0 UP 76T 0227 व UP 76K 3324 (सीज 207 MV Act)

अभियुक्त राजन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 296/2022 धारा 363/366 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।
2. मु0अ0सं0 203/2025 धारा 303(2)317(2) बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त नीरज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 203/2025 धारा 303(2)317(2) बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस -

1. थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री अजय सिंह
3. मु0आ0 लाल सिंह
4. आरक्षी विपिन गौतम
5. आरक्षी नरेश कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना नवाबगंज

दि0-01.07.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त सुबोध यादव पुत्र रामनिवास निवासी बलीपुर उलियापुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ मु0अ0सं0-138/2023 वाद सं0- 9011/2023 धारा- 380,457,411 भा0द0वि0 थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक 01.07.2025 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 फर्रूखाबाद द्वाराअभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास व 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

एपीओ- श्री जितेन्द्र सिंह

को0मो0 का0 प्रिन्स तेवतिया

पैरोकार हे0का0 विनीत कुमार